संख्याः 1499 /XV-1/17/1(9)16

प्रेषक,

बी०एम०मिश्र,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पशुपालन विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पशुपालन अनुभाग–1 देहरादून : दिनांक 05 जनवरी, 2018

विषयः खुरपका–मुंहपका रोग नियंत्रण योजनान्तर्गत (FMD-CP) (90 प्रतिशत केन्द्रपोषित) धनराशि अवमुक्त करने विषयक।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या–4538/नि०–5/एक(47)/FMD -CP/2017–18 दिनांक 11 सितम्बर, 2017 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 में खुरपका–मुंहपका रोग नियंत्रण योजना (90 प्रतिशत केन्द्रपोषित) हेतु अनुपूरक मांग के माध्यम से आय–व्ययक में प्राविधानित धनराशि ₹ 231.11 लाख (₹ दो करोड़ इकतीस लाख ग्यारह हजार मात्र) के सापेक्ष केन्द्रांश के रूप में रू 208.00 लाख(दो करोड़ आठ लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए व्यय हेतु आपके निवर्तन पर प्रदिष्ठ किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

1. स्वीकृत धनराशि का उपयोग/व्यय भारत सरकार को प्रेषित कार्य योजना के अनुसार ही किया जाय तथा अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत रूप से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

2. स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के संबंध में किसी भी प्रकार की अनियमितता/दुरूपयोग/दोहरीकरण (Doubling) पाये जाने पर विभागाध्यक्ष एवं संबंधित आहरण वितरण अधिकारी पूर्णतः उत्तरदायी होगें।

3. योजनान्तर्गत खुरपका–मुंहपका रोग नियंत्रण हेतु क्रय वैक्सीन व अन्य सामग्री की आपूर्ति हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित गाईड लाईन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
4. उपयोगिता प्रमाण पत्र/व्यय के वास्तविक आंकडे महालेखाकार से विधिवत लेखा परीक्षा के उपरान्त शीघ्र प्रस्तुत किये जायें।

5. मासिक वित्तीय एवं भौतिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

6. उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली–2017 एवं वित्तीय अधिकारों के प्रतिनिधायन एवं समय–समय पर निर्गत समस्त संगत शासनादेशों में निहित वित्तीय अधिकारों एवं प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

7. धनराशि को व्यय करते समय वित्त विभाग के मितव्ययिता संबंधी आदेशों का पूर्णतः पालन किया जाय, धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार ही किया जाय।

8. स्वीकृत धनराशि को व्यय करते समय बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका स्टोर परचेज रूल्स डी०जी०एस०एण्ड डी० की दरें टैण्डर/कोटेशन विषयक नियम एवं मितव्ययिता के संबंध में शासन द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय, जहाँ कहीं आवश्यक हो तो धनराशि व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृत अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

9. स्वीकृत धनराशि का दिनांक 31 मार्च, 2018 तक उपयोग करने के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में शासन/भारत सरकार को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

2. इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 में अनुदान संख्या–28 के लेखाशीर्षक 2403–पशुपालन–00–101–पशु चिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य–01–केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना–120–खुरपका–मुंहपका रोगों पर नियंत्रण योजना (90 प्रतिशत केन्द्रपोषित) 42–अन्य व्यय के अन्तर्गत वहन किया जायेगा।

भवदीय,

(बी०एम०मिश्र)
अपर सचिव

संख्याः (1) / XV-1/2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ प्रस्तुत करने हेतु।
2. महालेखाकार, कोलागढ़, देहरादून, उत्तराखण्ड।
3. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
4. समस्त मुख्य कोषाधिकारी उत्तराखण्ड।
5. बजट राजकोषीय नियोजन तथा संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग–4/नियोजन अनुभाग/वित्त अनुभाग–1
7. निदेशक, एन०आई०सी०, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. मीडिया सेन्टर, उत्तराखण्ड सचिवालय।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(वी०एस०पुन्डीर)
उप सचिव